

**छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर
जिला-रायपुर (छ.ग.)**

क्र. 2121 / एफ-1-112 / 31 / एस-2 / 2019,
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 12 / 06 / 2020

मुख्य अभियंता,
महानदी गोदावरी कछार,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- बेमेतरा (दुर्ग) जिले के विकासखण्ड-धमधा की सोनबरसा व्यपवर्तन योजना की ऊँचाई बढ़ाने, नहर का जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्र.अ. का पत्र क्र.-133 / बो.प्र. / प्रशा.स्वी. / 2019 / 11142, रायपुर, दि. 06.09.2019

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा बेमेतरा (दुर्ग) जिले के विकासखण्ड-धमधा की सोनबरसा व्यपवर्तन योजना की ऊँचाई बढ़ाने, नहर का जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य हेतु लागत राशि रु. 2167.36 लाख (रुपये इक्कीस करोड़ सड़सठ लाख छत्तीस हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. प्रस्तावित कार्यों के उपरान्त योजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता (1179.75 हेक्टेयर) में 929.28 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति तथा बचत जल से 185 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सहित कुल 1365 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य 4702-लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {101}-सतही जल 0101 राज्य आयोजना (सामान्य) (3803) लघु एवं लघुत्तम सिंचाई योजनाएं #97-निर्माण कार्य 003-बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्र.136 / सी.एन.31-02425 / बजट-2 / वित्त / चार / 2020, दिनांक 08.06.2020 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में भित्तव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता / कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(याकुब खान)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग